

2023/718

3251  
23

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2016/09

दिनांक:-09/6/2023

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

प्रशासन गावों के रंग अक्टिवेशन-2023

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयमान श्री रामेश्वरलाल पिता भंवरलाल नि.  
सहनवा प.ह. सहनवा के राजस्व ग्राम सहनवा में जमाबन्दी संवत. 2018 लेखा  
की खाता संख्या 444 में जमति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जमति/नाम रामेश्वरलाल किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जमति/नाम रामेश्वरलाल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2016/

दिनांक:- / /2016

निमित्त,

पटवार हल्का सहनवा

विषय:-सम्मानजनक जमति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयमान के अनुसार श्री रामेश्वरलाल पिता भंवरलाल  
राजस्व ग्राम सहनवा प.ह. सहनवा की खाता संख्या 444 में  
जमति/नाम रमेश दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जमति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंखा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयमान श्री रामेश्वरलाल पिता भंवरलाल की  
जमति/नाम रामेश्वरलाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. सहनवा राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि -तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी